राजस्व लोक अदालत केम्प भाखरसर तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 103/2018 2018/01290

वादीगण :– 1 केहराराम पुत्र हडमानराम जाट निवासी ढाढणियां, तह0 शेरगढ

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. शेराराम पुत्र हडमानराम जाट निवासी ढाढणियां, तह0 शेरगढ

2.तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए <u>दावा बाबत घोषणा</u>

निर्णय दिनांक:–8.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत भाखरसर प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम भाखरसर के खसरा 4202/4158 मे वादी का नाम केशाराम पिता हडमानाराम दर्ज है जबकि वक्त खरीद के समय लिपिकीय भूल से वादी का नाम केहराराम की बजाय केशाराम दर्ज कर दिया है। अतः अशुद्व नाम केशाराम की जगह शुद्व नाम केहराराम पुत्र हडमानाराम करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, सरंपच ग्राम पंचायत भाखरसर ,ब्यानकर्ता शेराराम के गवाह ब्यान व पटवारी पाटौदी/आर.आई पाटौदी व उपतहसीलदार पाटौदी की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार भाखरसर के खसरा 4202/4158 में वादी केशाराम की जगह शुद्व नाम केहराराम पुत्र हडमानाराम करने की सिफारिश की है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है वादी केशाराम की जगह शुद्व नाम केहराराम पुत्र हडमानाराम नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प........................

Scanned by CamScanner